संख्या-46/2015/आरएफ.590/नौ-9-15- 64आर.एफ/15

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नवाबगंज,जनपद,बाराबंकी/आजमगढ,जनपद-आजमगढ/नहटौर,जनपद-बिजनौर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 08 जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नया सवेरा नगर विकास योजना में प्राविधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार 03 नगर पालिका परिषदों, क्रमशः नगर पालिका परिषद,नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ एवं नगर पालिका परिषद, नहटौर,जनपद-बिजनौर द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 11,40,53,000/-(रूपये ग्यारह करोड चालीस लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये **उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 5,70,26,500/-(रूपये पाँच करोड सत्तर लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)- यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित

http://vhasanganj.up.nic.in/

धनराशि को किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि का कार्य निकाय के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/ संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें।

(5)- प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6)- धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश दिनांक 19;11;2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाया

(7)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(8)- स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(10)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् "नया सवेरा नगर विकास योजना" का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य योजना का प्रस्ताव

http://rsasamadesh.up.nic.in/

निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(11)- उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। जिन निकायों को स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है उनके द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(12)- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(13)- वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।

(14)- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/ दस-2014 - 231/2014,दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारी के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-46/2015/आरएफ.590 (1)/लौ-9-2015 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. कोषाधिकारी,बाराबंकी/आजमगढ/बिजनौर ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. अध्यक्ष,सम्बन्धित नगर पालिका परिषद।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल ।
10. वेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

शासनादेश संख्या-46/2015 /आरएफ; 590 /नौ-9-15-64 आरएफ/2015,
दिनांक 08 जून, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

	निकाय का नाम / जनपद	मदकार्य/	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1.	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज जनपद-बाराबंकी।	1. स्टेशन रोड पर पुलिस लाइन्स चौराहे से निबलेट चैराहे तक (वाया छाया टाकीज चैराहा) मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 7 मी0 लम्बे जी0आई0 पोल पर एल0ई0डी0 फिटिंग तथा अन्डरग्राउन्ड केबलिंग कार्य।	123.09		
		2. लखनऊ फैजाबाद मुख्य मार्ग पर कोर्ट रोड तिराहे के पास से पैसर प्लाजा के पास तक मार्ग के मध्य डिवाइडर बनवाकर 7 मी0 लम्बे जी0आई0 पोल पर एल0ई0डी0 फिटिंग तथा अन्डरग्राउन्ड केबलिंग कार्य।	217.22		
		3. छाया टाकीज चौराहे से नाऊमंडी जी पी0 चौराहा होते हुये फैजाबाद रोड तक मार्ग प्रकाश हेतु 7 मीटर लम्बे जी0आई0पोल पर एल0ई0डी0 फिटिंग तथा अन्डरग्राउन्ड केबलिंग कार्य।	45.01		
		4. लखनऊ -फैजाबाद मुख्य मार्ग स्थित पटेल स्मारक से दैवा मार्ग पर रेलवे क्रासिंग तक 7 मी0 लम्बे जी0आई0 पोल पर एल0ई0डी0 फिटिंग तथा अन्डरग्राउन्ड केबलिंग कार्य।	87.83		
		योग	473.15	473.15	236.575
2.	नगर पालिका परिषद, आजमगढ, जनपद - आजमगढ।	1. नगर पालिका परिषद, आजमगढ में प्रकाश व्यवस्था कार्य।	17.80		
		2. मु0 सिधारी पूर्वी में हाईडिल चैराहा से राधेश्याम गुप्ता की दुकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	65.81		
		3. सिधारी पूर्वी में मुसारी यादव के मकान से अनिल राय के	18.43		

http://shasanadesh.up.nic.in/

		मकान तक एजिंग तथा इण्टरलाकिंग कार्य।			
		4. मु०सिधारी पूर्वी में (मलियाना) स्व ० मोती के घर से मुख्य सड़क व फकीर के घर तक नाली, आर०सी०सी० इण्टरलाकिंग व एजिंग कार्य।	09.37		
		5. मु०मडया में प्राइमरी के मकान से अजीत सिंह के घर होकर भीम के घर व रानी के घर तक मिट्टी भराई,नाली, आर०सी०सी ०पटिया व इण्टरलाकिंग कार्य।	09.74		
		6. सिधारी पूर्वी में केदार की दुकान से निखिल के मकान तक इण्टरलाकिंग व एजिंग कार्य।	37.71		
		7. वार्ड नं०7 मु०सिधारी पूर्वी में असलम के मकान से अतीक अहमद फारूकी के मकान तक नाली,आर०सी०सी० पटिया तथा सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य।	22.00		
		8. मु०सिधारी पश्चिमी में दीप महल से होमगार्ड आफिस होकर कलेक्ट्रट गेट तक सड़क सुधार कार्य।	21.16		
		9. मु०सिधारी पूर्वी में प्राथमिक विद्यालय से फिट फण्ड कार्यालय होकर रामपाल शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग व एजिंग कार्य।	20.19		
		10. मु०आलमबरगंज में पानी की टंकी से शिवसिंह व आलोक सिंह के मकान होते हुये लल्लन यादव व मनोज मद्देशिया के घर तक इण्टरलाकिंग नाली मरम्मत व सी०सी०पट्टिया का कार्य।	10.95		
		11. मो०हरिऔध नगर से हिमांशु नर्सिंग होम तक सड़क के दायीं पटरी पर इण्टरलाकिंग पेवर्स कार्य।	53.73		
		12. मो०हरिऔध नगर से हिमांशु नर्सिंग होम तक सड़क के बायीं पटरी पर इण्टरलाकिंग पेवर्स कार्य।	57.67		
		13. मो०बेलइसा में विनोद माली के घरतुलसी से बैंक मैनेजर के /	16.21		

http://sbsanadesh.up.nic.in/

		घर व गोविंद के घर से मास्टर ,के घर तक नाली आर०सी०सी० पटिया व इण्टरलाकिंग कार्य।			
		14. मौ०बेलइसा में शशिकान्त पाण्डेय के घर से अनिल सिंह के घर तक नाली एजिंग, आर०सी०सी० पटिया तथा इण्टरलाकिंग कार्य।	15.87		
		15. मौ०बेलइसा में दयाराम पाल के घर से हरेन्द्र के घर होकर पंकज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	08.15		
		16. मौ०बेलइसा में मुख्य सड़क से अनिल राय के घर तक नाली, आर०सी०सी० पटिया व इण्टरलाकिंग कार्य।	09.94		
		17. मु०अन्तेपुरा में गोपाल के मकान से झम्लू के मकान होकर सुभाष के घर तक नाली का कार्य।	13.35		
		18. मु०अराजीबाग में वीरेन्द्र के घर से श्री जियुलचन्द के घर होकर पिन्टू राय के घर से आगे तक इण्टरलाकिंग,नाली मरम्मत कार्य।	05.19		
		19. मौ०रघुनाथपुर में नितिन जनरल स्टोर से लालसा के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	62.97		
		20. स्वायत्त शासन कर्मचारी सहसंघ, न०प्रा०प,०आजमगढ के आवास का मरम्मत कार्य।	09.15		
		21. मु०रहमत नगर में संतराज सिंह के घर से करबला मैदान तक नाली मरम्मत,आर०सी०सी इण्टरलाकिंग व एजिंग कार्य।	09.47		
		22. मु०सिधारी पूर्वी में संतोष तिवारी के घर से सुरेश शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	16.70		
			511.56	511.56	255.78
3.	नगर पालिका परिषद, नहटौर, जनपदबिजनौर।-	1. निर्माण कार्य 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क निर्माण चौड़ीकरण का कार्य झालू रोड,ओमकुमार विधायक के निवास से आरा गार्डन से आगे	57.33		

http://shasanadesh.up.nic.in/

		तक बायीं ओर साइड की रोड पटरी। 2. निर्माण कार्य 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क निर्माण चौड़ीकरण का कार्य झालू रोड,ओमकुमार विधायक के निवास से आरा मशीन से आगे तक दाहिनी साइड की रोड पटरी। 3. गागन नदी के पुल के पास धामपुर रोड के किनारे पार्क का निर्माण कार्य।	57.49 41:00		
		योग	155.82	155.82	77.91
		महायोग	1140.53	1140.53*	570.265

(रूपये पाँच करोड सत्तर लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in/

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-08/06/2015

प्रेषण संख्या:- 46-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-46-2015-RF590-9-9-15-64RF-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - नया सवेरा नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बिजनौर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7791000 217941000	7791000 217941000
2	आजमगढ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25578000 25578000	25578000 25578000
3	बाराबंकी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	23657500 23657500	23657500 23657500
	योग	वर्तमान प्रगामी	57026500 267176500	57026500 267176500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ सत्तर लाख छब्बीस हजार पाँच सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस करोड़ इकत्तर लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव